



**Address :**

4<sup>th</sup> Floor Block A PICUP Bhawan,  
Lucknow, Uttar Pradesh 226010

**Phone No.:** +91-522-2720236, 2720238

**Email:** info[at]investup[dot]org[dot]in

**Website -** <https://invest.up.gov.in/>




उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022

## प्रमुख बिन्दु

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह सितंबर 2022 में इस नीति की घोषणा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बायोएनर्जी कचरे का उपयोग करके संपीड़ित (कंप्रेस्ड) बायोगैस संयंत्रों, जैव डीजल उत्पादन संयंत्रों और जैव कोयला उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था।

भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त इन संयंत्रों की स्थापना पर उपलब्ध मुख्य प्रोत्साहन।

- संपीड़ित (कंप्रेस्ड) बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम रु. 20 करोड़ का प्रोत्साहन।
- जैव-कोयला उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 75,000 प्रति टन अधिकतम रु. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
- बायो डीजल उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 3 लाख अधिकतम रु. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
- बाॅयलर रेकर और ट्रॉली उपकरणों के क्रय पर अधिकतम रु. 20 लाख की लागत का 30% राज्य सब्सिडी उपलब्ध है। यह सब्सिडी कृषि यंत्रीकरण योजना में केंद्र सरकार से उपलब्ध 50% सब्सिडी के अतिरिक्त उपलब्ध होगी।
- रु. 50 करोड़ के अधिकतम निवेश के साथ अधिकतम 5 किमी पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) के निर्माण पर अवस्थापना सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता।
- विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास चार्जेज पर छूट।
- स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर शत प्रतिशत छूट।
- जैव ऊर्जा उद्योग की स्थापना और फीडस्टॉक के भंडारण के लिए रु. 1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के लीज रेंट पर सरकारी भूमि की उपलब्धता।
- भूमि उपयोग और भूमि सीमा अधिनियम में परिवर्तन के अधीन अनुमति।



नोडल एजेंसी: यूपीनेडा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग